प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 12.07.2025

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामद।

दिनांक 08.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री मनोज कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी विश्वकर्मा बस्ती गली न0 4 थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी कि उसके घर से अज्ञात चोर द्वारा उनकी गैर अनुपस्थिति मे घर मे तिजोरी मे रखा सोने चांदी के गहने व मोबाईल आदि चोरी कर लिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त हिमान्शु वर्मा पुत्र कान्ति प्रसाद वर्मान निवासी गली न0 4 विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को आज दिनांक 12.07.25 को बम्बा रोड पर ओयो होटल थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद किया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि गलती हो गयी , मैने ही मनोज के घर से सामान चुराया है। मैं गलत संगत में पड़ने के कारण नशे का आदि हो गया और अपने नशे की जरुरत को पूरा करने के लिए चोरी करने लगा। साहब उस दिन मै मनोज के घर मे छत के रास्ते घुस गया और मकान की निचली मंजिल पर कमरे में रखी अलमारी मे रखी सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर भाग गया था और चोरी किये गये सामान को मैने ओयो होटल के पास छिपाकर रख दिया था। जिन्हे मै आज ले जाकर बेचने वाला था कि आपने पकड लिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

हिमान्शु वर्मा पुत्र कान्ति प्रसाद वर्मान निवासी गली न0 4 विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर चोरी सम्बन्धी 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद मोबाईल फोन रेडमी रंग डार्क ग्रे
- 01 नोट पुराना एक हजार
- एक अदद चैन पीलीधातु मय एक अदद लाकेट पीली धातु
- एक अदद नाक की छोटी नथ पीली धातु
- दो अदद नाक की पिन पीली
- एक जोडी कानो के टाप्स पीली धातु
- एक अदद मंगल सूत्र पैण्डेन्ट पीली धातु
- दो अदद अंगूठी लेडिज पीली धातु
- दो जोडी कानो के झुमके पीली धातु

- 04 जोडी पायल सफेद धातु , 06 जोडी बिछुए सफेद धातु, 01 लाकैट जिस पर राधा कृष्ण की आकृति बनी हुई है सफेद धातु , 03 सिक्के सफेद धातु वजन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा जुआ खेलने वाले 13 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 01 लाख 76 हजार रुपये ,156 ताश के पत्ते व 14 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 11.07.2025 को स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बीआर फार्म हाउस होटल एनएच-58 मोदीनगर में जुआ खेलते हुए 13 अभियुक्तों **1.** प्रवीन पुत्र स्व0 राम किशन निवासी गली नं0-03 भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष **2.** सुशील पुत्र स्व0 गोपाल निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष **3.** राजेश पुत्र रमाशंकर निवासी चूनाभट्टी गली नं0-02 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष **4.** विकास पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष **5.** दुष्यन्त पुत्र धर्मवीर निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष **6.** शिवांक पुत्र स्व0 सतीश कुमार गुप्ता निवासी भूपेन्द्रपुरी गली नं0-04 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष **7.** राकेश पुत्र स्व0 अतर सिंह निवासी औरंगाबाद गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष **8.** सचिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष **9.** राजेश कुमार पुत्र स्व0 महीपाल सिंह निवासी बड़े मन्दिर के पीछे देवेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष **10.** लकी शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष **11.** संजीव पुत्र स्व0 सत्यवीर सिंह निवासी देवेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष **12.** हनी शर्मा पुत्र स्व0 अशोक कुमार शर्मा निवासी गली नं0-02 कृष्णा नगर मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष **13.** दीपेश पुत्र महेश अधाना निवासी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 01 लाख 76 हजार रुपये, 156 ताश के पत्ते व 14 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 3/4/13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। फार्म हाउस का संचालक संजीव उर्फ सोनू फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम अपने शौक पूरे करने के लिये जुआ खेलते हैं। हम बीआर फार्म हाउस में जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। फार्म हाउस के मालिक से वार्ता की गयी तो उन्होने बताया कि उक्त फार्म हाउस संजीव उर्फ सोनू पुत्र नरेश पता न्यू मानवतापुरी थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को किराये पर दिया हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.प्रवीन पुत्र स्व0 राम किशन निवासी गली नं0-03 भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. सुशील पुत्र स्व0 गोपाल निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 57 वर्ष।
3. राजेश पुत्र रमाशंकर निवासी चूनाभट्टी गली नं0-02 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष
4. विकास पुत्र स्व0 सत्यप्रकाश निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
5. दुष्यन्त पुत्र धर्मवीर निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।
6. शिवांक पुत्र स्व0 सतीश कुमार गुप्ता निवासी भूपेन्द्रपुरी गली नं0-04 मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।
7. राकेश पुत्र स्व0 अतर सिंह निवासी औरंगाबाद गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 56 वर्ष।
8. सचिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी भूपेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
9. राजेश कुमार पुत्र स्व0 महीपाल सिंह निवासी बड़े मन्दिर के पीछे देवेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष।
10. लकी शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी हरमुखपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
11. संजीव पुत्र स्व0 सत्यवीर सिंह निवासी देवेन्द्रपुरी मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
12. हनी शर्मा पुत्र स्व0 अशोक कुमार शर्मा निवासी गली नं0-02 कृष्णा नगर मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
13. दीपेश पुत्र महेश अधाना निवासी मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर सार्वजनिक जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल 1,76,000/- रूपये, 156 ताश के पत्ते व 14 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मनीष द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 69/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत

अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 12.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मनीष उर्फ मोनू पुत्र मुकेश निवासी शिव मंदिर के पास विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को मंगल बाजार कट चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीडिता से जान पहचान व बातचीत शुरू हो गई थी और पीडिता के घर पर मेरा आना जाना भी हो गया था। मौका पाकर मैंने पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त मनीष उर्फ मोनू पुत्र मुकेश निवासी शिव मंदिर के पास विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना मुरादनगर एवं कावड़ मार्ग का भ्रमण किया गया।

दिनांक 11.07.2025 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना मुरादनगर एवं कावड़ मार्ग भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, अभिलेखों आदि को चेक किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक मुरादनगर को नियमित रुप से जनसुनवाई करने तथा आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने हेतु व अन्य निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिए गये -

- कार्यालय/बैरिक/थाना परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है।
- थाने पर वेटिंग एरिया होना चाहिए।
- थाने पर लगे सभी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए तथा रिकार्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए।
- थाने पर शिकायत लेकर आये व्यक्तियों के लिए पानी व लाइट एवं शौचालयों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।
- डाक ऑफिस, माल खाना व सीसीटीएनएस ऑफिस में अभियोगों से सम्बन्धित दस्तावेज, माल व उपकरणों का रख-रखाव ठीक होना चाहिए।

- सभी अभियोगों से सम्बन्धित रिकार्ड अपडेट रखने तथा अन्य दिशा-निर्देश दिये गये।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कावड़ यात्रा के सुचारू संचालन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मेरठ रोड़ कावड़ मार्ग का भ्रमण भी किया गया। भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कावड़ मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों तथा यातायात व्यवस्था का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये-

- सम्पूर्ण कावड़ मार्ग को सीसीटीवी कैमरों की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाये, जिससे किसी भी संवेदनशील स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।
- कावड़ मार्ग पर उचित बैरिकेडिंग कर यातायात का नियमन किया जाए ताकि यात्री और स्थानीय नागरिकों को असुविधा न हो।
- कावड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखते हुए डायवर्जन के रूट पर प्रतिबन्धित वाहनों को पूर्णतया रोका जाये।
- मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर हेल्प डेस्क एवं फर्स्ट ऐड सेंटर की स्थापना की जाए, जहाँ त्वरित सहायता उपलब्ध हो सके।
- साथ ही यात्रा के दौरान पड़ने वाले संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड़ कण्ट्रोल रूम एवं श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण किया गया।

- पवित्र श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 12.07.2025 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा मेरठ तिराहा स्थित कावड़ कण्ट्रोल रूम एवं श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण किया गया। मेरठ तिराहा स्थित कावड़ कण्ट्रोल रूम के भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून-व्यवस्था, जिलाधिकारी गाजियाबाद, नगर आयुक्त नगर निगम, पुलिस उपायुक्त नगर/मुख्यालय, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त कांवड़ सेल एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण मौजूद रहे।
- भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा कांवड़ कण्ट्रोल रूम में स्थापित मॉनिटरिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य तकनीकी उपकरणों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर तैयारियों को परखा गया तथा सम्बन्धित अधिराकारी/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु 04 स्थायी कण्ट्रोल रूम, 01 मुख्य कण्ट्रोल रुम ,

02 सब कण्ट्रोल रुम एवं 08 स्टैटिक कण्ट्रोल रुम की स्थापना की गयी है। कांवड़ मार्ग में कुल 1657 सीसीटीवी कैमरे, 71 बैरियर, 33 सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, 1560 पुलिस स्वयं सेवक लगाये गये हैं।

- पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाते हुए यात्रियों एवं नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगमता हेतु किये जाने वाले सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराते हुए कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
- श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर के भ्रमण के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री नारायण गिरि महाराज जी से श्रृद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगमता हेतु मंदिर में की जा रही व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में वार्ता की गई। श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर को कुल 13 बीट क्षेत्रों में विभाजित कर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मंदिर परिसर के अन्दर 22 एवं बाहर 82 कुल 104 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं , जिनकी मॉनिटरिंग कण्ट्रोल रूम द्वारा 24*7 की जा रही है।
- आगामी दिनों में मंदिर में श्रृद्धालुओं की संख्या बढ़ने के दृष्टिगत अधिकारी/कर्मचारीगणों को समयबद्ध सूचना प्रवाह, त्वरित प्रतिक्रिया, तत्परता एवं भीड़ नियंत्रण हेतु विशेष निर्देश दिए गए। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बनाये गए मार्ग, चिकित्सा सहायता केंद्र, जलपान व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।
- पुलिस आयुक्त द्वारा मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाते हुए कुछ नये सुरक्षा प्वाइंट्स बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही यातायात प्रबंधन एवं महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।